भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2115

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन की रिपोर्टिंग में डेटा की प्रामाणिकता और सत्यापन

2115. एडवोकेट चन्द्र शेखरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) आईएमआईएस पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों की प्रामाणिकता और राज्यों द्वारा लागू किए गए सत्यापन तंत्र और जनवरी 2026 तक की गई किसी भी स्वतंत्र संपरीक्षा पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) सरकार द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए कवरेज आंकड़ों, कार्यक्षमता के वार्षिक आकलन के अभाव और रिपोर्ट किए गए तथा जमीनी वास्तविकता के बीच विसंगतियों के मुद्दों को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं, और
(ग) विश्व बैंक द्वारा सतत जल सुरक्षा और ऑस्ट्रेलिया के मरे-डार्लिंग बेसिन से सर्वोत्तम प्रथाओं के लिए विश्वसनीय आंकड़ों पर दिए गए ज़ोर के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ताकि वर्ष 2028 तक शत प्रतिशत कवरेज की दिशा में सटीक प्रगति ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शी और समुदाय-सत्यापित रिपोर्टिंग की जा सके?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है ताकि प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। चूंकि जल राज्य का विषय है, अत: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवारों को नल जल उपलब्ध कराने के लिए पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की है। भारत सरकार जेजेएम के अंतर्गत तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

इस विभाग ने पारदर्शिता, डेटा सटीकता और तत्काल-समय पर समीक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) हेतु एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस)

डिजिटल पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार की है। आईएमआईएस पोर्टल पर डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए, विभाग ने एक बहुस्तरीय सत्यापन तंत्र शुरू किया है। इसमें लाभार्थियों की आधार संख्या को अनिवार्य रूप से सहबद्ध करना, सुजलाम भारत ऐप के माध्यम से परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग, पीएम-गतिशक्ति पोर्टल पर पाइपलाइनों की सूचना अपलोड करना शामिल है। इसके अलावा, विभाग जमीनी वास्तविकता का पता लगाने के लिए कड़े परिश्रम से कार्य करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) **कार्यशीलता मूल्यांकन:** जेजेएम के अंतर्गत यह विभाग नियमित रूप से स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी के माध्यम से 'नल कनेक्शनों का कार्यशीलता मूल्यांकन' करता है। मूल्यांकन कार्य के तहत, नल कनेक्शन की कार्यशीलता का मूल्यांकन तीन मापदंडों नामत: मात्रा (55 एलपीसीडी या अधिक), गुणवत्ता और नियमितता अर्थात एक वर्ष में सभी 12 महीनों या दैनिक आधार पर जल आपूर्ति के संबंध में किया जाता है। इन सभी मापदंडों को विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार पारिवारिक नल जल कनेक्शनों की कार्यशीलता को परिभाषित करने के लिए शामिल किया जाता है। अंतिम कार्यशीलता मूल्यांकन की रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध है।

(ii) **राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता (एनएलएम):** राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञों, केन्द्रीय नोडल अधिकारियों, एनजेजेएम और एनपीएमयू सदस्यों द्वारा नियमित रूप से क्षेत्र दौरे। राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ता जमीनी वास्तविकताओं के बारे में सूचित की गई प्रगति का पुन:सत्यापन करते हैं।

(iii) **जल सेवा आकलन:** जल सेवा आकलन दिसंबर 2025 में शुरू किया गया है। इसके द्वारा ग्राम पंचायत के नेतृत्व वाली एक ऐसी संरचित रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है**,** जो पाइपगत जलापूर्ति प्रणालियों के ग्राम-स्तरीय मूल्यांकन को संस्थागत बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह पहल एक ऐसे प्रणालीगत बदलाव को दर्शाती है**,** जिसके तहत आवधिक**,** बाहरी रूप से संचालित मूल्यांकन को स्थानीय अभिशासन से सहबद्ध नियमित**,** समुदाय-मान्य स्व-मूल्यांकन प्रणाली में बदला गया है और इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की सहायता से सुविधाजनक बनाया गया है।

सरकार स्थायी जल सुरक्षा से संबंधित सर्वोत्तम वैश्विक परिपाटियों की पूर्ण अनुरूपता की तर्ज पर कार्य करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूचना पारदर्शी और समुदाय द्वारा सत्यापित है, जेजेएम के अंतर्गत 'हर घर जल' प्रमाणन को अनिवार्य बनाया गया है। इस प्रक्रिया के तहत, जब ग्राम सभा ऐसा प्रस्ताव पारित करती है जो यह पुष्टि करता हो कि प्रत्येक परिवार को जल प्राप्त हो रहा है, तत्पश्चात ही उस गांव को पूर्णतया कवर घोषित किया जाता है। इस समुदाय-केंद्रित अवधारणा से जवाबदेही सुनिश्चित होती है और यह विश्वसनीय डेटा सत्यापन के सिद्धांतों के अनुरूप है।

*****